

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

—:—

क्रमांक १८४/आर 05/चार/ब-1/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३ /02/2014

शासन के समस्त विभाग,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त सभागायुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्य प्रदेश ।

विषय: कय पर प्रतिबंध वर्ष 2013-14

—:—

वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में जल्दबाजी में कय की कार्यवाही करने पर निर्धारित प्रक्रिया एवं वित्तीय अनुशासन में चूक होने की संभावना रहती है, जिसके कारण शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंतिम माहों में कय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिकमित करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

05 फरवरी, 2014 के बाद कय पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाये। कय पर पूर्ण प्रतिबंध के फलस्वरूप दिनांक 05 फरवरी से वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक कय के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त शक्तियाँ अधिकमित रहेंगी। यह प्रतिबंध लघु उद्योग निगम एवं सार्वजनिक उपकरणों के माध्यम से कय की जाने वाली सामग्री पर भी लागू रहेगा, परन्तु यह प्रतिबंध निम्नलिखित मदों में लागू नहीं होगा:-

(एक) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, पेयजल से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं गृह विभाग के अन्तर्गत आयोजनेतर मद में प्राप्त केन्द्रीय अनुदान।

(दो) जिन प्रकरणों में कय हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त कय आदेश दिनांक 05 फरवरी के पूर्व कार्यालय द्वारा जारी किया जा चुका है, भले ही कय सामग्री 05 फरवरी के पश्चात् प्राप्त हो।

(तीन) ऐसे प्रकरण जिनमें छात्रावास, आश्रम, विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी के संचालन हेतु आवश्यक दवाईयाँ एवं खाद्य सामग्री की पूर्ति हेतु कय किया जाना हो।

(चार) ऐसे प्रकरण जिनमें 13वें वित्त आयोग की सहायता के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु।

(पाँच) रूपयें 5,000/- मासिक तक डाक टिकिट, आकस्मिक व्यय।


(छ) शासकीय प्रेस के डायरी एवं कैलेण्डर।

(सात) विभागों की आयोजना मदों में प्रावधानित राशि से संबंधित कय इस प्रतिबंध से शिथिल रहेंगे तथा भण्डार कय नियमों का पालन करना संबंधित विभागों का उत्तरदायित्व होगा।

3. उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(श्रीमान शुभला)

संचालक बजट


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरन्तर—2

पृ० क्र० १८९ /आर 05/चार/ब-1/2014 भोपाल, दिनांक ०२/०२/२०१४

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार मध्यप्रदेश, (लेखा/आडिट) ग्वालियर, भोपाल की ओर 50 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार समस्त कोषालय एवं उप कोषालय को सूचित करने का कष्ट करें।
- 3- वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/ बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। साथ ही विभिन्न विभागों से प्रतिबंध से छूट संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण संबंधित बजट शाखाओं द्वारा प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर कर उपयुक्त निर्णय लिया जाय।
- 4- गार्ड फाइल ।

  
(राजेश सिंह)  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग